

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-फ. 5(5)गृह-1/2024 (20274)

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित तिथि

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2025-26 की दिनांक 02.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री राजेश कुमार सिंह पुत्र श्री मन्नूराम, पुलिस निरीक्षक के विरुद्ध पुलिस आयुक्त, जयपुर के आदेश क्रमांक 1079-80 दिनांक 05.08.2025 के द्वारा अन्तर्गत नियम 17 सीसीए में विभागीय जांच विचाराधीन होने के इनकी पदोन्नति अभिशंषा को सीलड कवर में रखा गया।

पुलिस आयुक्त, जयपुर के आदेश क्रमांक 1945-49 दिनांक 17.12.2025 द्वारा उक्त विचाराधीन विभागीय जांच में श्री राजेश कुमार सिंह को दोषमुक्त किया गया है। राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2025-26 की दिनांक 02.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा सीलड कवर में किये गये श्री राजेश कुमार सिंह की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री राजेश कुमार सिंह को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2025-26 में रिक्ति दिनांक 01.11.2025 के प्रति एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री सिंह की वरिष्ठता श्री नरपत सिंह चारण/लादू सिंह (सामान्य) के नीचे निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है। श्री राजेश कुमार सिंह, आरपीएस अग्रिम आदेशो तक वर्तमान पद पर ही यथावत कार्य करते रहेंगे तथा इनको रिक्ति दिनांक 01.11.2025 से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रत्नेश कुमार शर्मा)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

